न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 25/2018

1. अमरो बाई
2. आशो बाई

पिसरान इन्द्र सिंह जाति रायसिख निवासी 1 सी बड़ी ओड़की तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

—रेस्पोडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध आदेश सहायक आयुक्त उपनिवेशन घडसाना दिनांक 01.12.1978

उपस्थितिः–

श्री राजीव जग्गा, अभिभाषक अपीलार्थी।
श्री वेदप्रकाश शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.04.2018

अपीलांट द्वारा यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन घड़साना मुकाम अनूपगढ़ के आदेश दिनांक 01.12.1978 के विरूद्ध पेश की है। उक्त आदेश के द्वारा अधी. न्यायालय ने अपीलार्थीगण के पिता इन्द्र सिंह को इस आशय का पत्र लिखा कि आपको चक 19 आर जे डी के मुरब्बा नम्बर 20/29 के 18 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है। अतः आप इस कार्यालय में हाजिर होकर कब्जा रकबा का लेवें अन्यथा रकबा खारिज कर दिया जायेगा।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित भूमि अपीलांट के पिता को आवंटन की गई थी। उक्त भूमि किसी अन्य को आवंटन हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अब कब्जा नहीं लिया जा सकता। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट या अपीलांट के पिता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय

284/18

शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपीलांट को अन्य भूमि आवंटन करने के आदेश दिये जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अपील स्पष्ट रूप से मियाद बाहर है। आवंटी द्वारा आवंटन के पश्चात् विवादित भूमि का कब्जा प्राप्त नहीं किया जिसकी सूचना आवंटी को दी गई। उसके बावजूद भी आवंटी द्वारा कब्जा प्राप्त नहीं किया। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 01.12.1978 के विरूद्ध दिनांक 22.02.18 को पेश की है। जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य अंकित किया है कि आवंटी कार्यालय में उपस्थित होकर कब्जा लेवें अन्यथा रकबा खारिज कर दिया जायेगा। इस प्रकार स्पष्ट है कि यह आदेश सशर्त है। पत्रावली पर उक्त नोटिस की तामील होना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायहित में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करना उचित समझते है।

विवादित भूमि किसी अन्य को आवंटन हो चुकी होगी। अपीलांट का भी ऐसा कथन नहीं है कि उसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त हो। अपीलांट के पिता को विवादित भूमि के आवंटन का पात्र मानते हुए ही विवादित भूमि का आवंटन किया गया था। उक्त पात्रता किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण वैकल्पिक आवंटन का मानते हुए विधि अनुसार अपीलांट की पात्रता को दृष्टिगत रखते हुए आदेश पारित किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.04.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/4/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर